विधिक सेवाएँ क्या हैं ?

- समस्त न्यायालयों/प्राधिकरणों/अधिकरणों/आयोगों के समक्ष विचाराधीन मामलों में विधिक सेवायें उपलब्ध करायी जाती है।
- गरीब तथा आम व्यक्तियों के लिये न्यायशुल्क सहित वकील की फीस एवं अन्य सभी आवश्यक वाद व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किये जाते हैं।
- विधिक अधिकारों एवं सेवाओं की जागरूकता के लिए विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाता है।
- परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्रों में सन्धिकर्ता दल द्वारा पारिवारिक विवादों को सुलह समझौते के आधार पर समाप्त कराये जाने के सतत प्रयास किये जाते हैं।
- मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों में पीड़ित व्यक्तियों को शीघ्र मुआवजा दिलाये जाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जाते हैं।
- गुमशुदा बच्चों एवं व्यक्तियों के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करवाने हेतु निःशुल्क वकील की सेवाएं तथा दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर गुमशुदा बच्चों का विवरण प्रसारित कराने हेतु भी जिला विधिक सेवा प्राधिकारण की मदद ले सकते हैं।
- अन्य सभी प्रकार के वादों में सुलह समझौते द्वारा शीघ्र न्याय दिलाया जाता है।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र कौन है ?

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य,
- अनैतिक अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे लोग जिनसे बेगार करायी जाती है,
- महिलाए एवं बच्चे,
- मानसिक रोगी एवं विकलांग,
- अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताये हुए व्यक्ति या, शहीद सैनिकों के आश्रित,
- औद्योगिक श्रमिक,
- कारागृह, किशोर, मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखे गये व्यक्ति या ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है।

लोक अदालतें क्या हैं ?

- लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है।
- सभी प्रकार के सिविल वाद तथा ऐसे अपराधों को छोड़कर जिनमें समझौता वर्जित है, सभी आपराधिक मामले भी लोक अदालतों द्वारा निपटाये जा सकते हैं।
- लोक अदालतों के फैसलों को अदालत का फैसला माना जाता है जिसे कोर्ट की डिक्री की तरह सभी पक्षों पर अनिवार्य रूप में बाध्य होते हुए लागू कराया जाता है।
- लोक अदालत के फैसलों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
- लोक अदालत में समझौते के माध्यम से निस्तारित मामले में अदा की गयी कोर्ट फीस लौटा दी जाती है।
- प्रदेश के सभी जिलो में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की जा चुकी है। और वादकारियों को अपने विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाने के लिये उस अदालत में प्रार्थनापत्र देने का अधिकार प्राप्त है।
- अभी जो विवाद न्यायालय के समक्ष नहीं आये है उन्हें भी प्री-लिटीगेशन स्तर पर बिना मुकदमा दायर किये ही पक्षकारों की सहमति से प्रार्थना देकर लोक अदालत में फैसला कराया जा सकता है।
- अधिक जानकारी के लिये लिखें या मिले
- उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सचिव संयुक्त निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उच्च न्यायालय विधिक सेवा उप समिति, उच्च न्यायालय पीठ, लखनऊ के सचिव संयुक्त निबन्धक, उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ, सभी जनपदों के दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्षों जिला जजों अथवा सचिव तथा प्रदेश की समस्त तहसीलों में कार्यरत तहसील विधिक सेवा समितियों के सचिवों तहसीलदार से या उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से सम्पर्क करें।

उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

तृतीय तल, जवाहर भवन, एनेक्सी, लखनऊ, फोन : (0522) 2287972

हेल्पलाइन : टोल फ्री नं० 1800-419-0234

"0एस0यू0पी0–ए0पी0 4 कानूनी सहायता–18.7.2009–(725)–5000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

सरल कानूनी ज्ञान माला–5

राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता मिशन

किशोर अपराध और न्याय व्यवस्था

उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

तृतीय तल, जवाहर भवन, एनेक्सी,

लखनऊ

2010

उ0 प्र0 राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

ज्ञान माला संख्या	विषय
01	विधिक सेवा कार्यक्रम
02	(1) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (2) कुटी बीमा योजना (3) विकलांग व्यक्तियों के लिये अनुदान योजना
03	(1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न एवं छुआछूत निवारण) अधिनियम, 1989 (2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए बनायी गयी राजकीय योजनाएं
04	प्रथम सूचना रिपोर्ट, गिरफ्तारी और जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार और कर्त्तव्य।
05	किशोर अपराध और न्याय व्यवस्था
06	भरण–पोषण विधि
07	दहेज और कानून
08	विवाह और कानून
09	मोटर दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को प्रतिकर
10	(1) वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। (2) निराश्रित विधवाओं के लिये अनुदान योजना।
11	उपभोक्ता संरक्षण एवं कानून
12	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया।
13	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम।
14	फौजदारी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण।

किशोर अपराध और न्याय व्यवस्था

हमारे देश एवं समाज का भविष्य बहुत कुछ देश के बच्चों पर निर्भर करता है। बच्चे न केवल राष्ट्र की धरोहर है बल्कि भविष्य में उन्हीं के कंधों पर देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था रहेगी। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास और उन्हें देश का जागरूक नागरिक बनाने के लिए सदैव से ही प्रयास रहा है और इस सम्बन्ध में हमारे देश में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से प्रयास किये गये। सुधार विद्यालय अधिनियम, 1876, जिसे बाद में सन् 1897 में संशोधित किया गया था, इस दिशा में पहला ठोस प्रयास था। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 562 में विशेष रूप से बच्चों एवं युवा अधिकारियों को सद्व्यवहार बनाये रखने के लिए परिवीक्षा पर रिहा करने का प्राविधान किया गया था। इस सम्बन्ध में इंडियन जेल कमेटी 1919–20 की रिपोर्ट के अनुसार युवा अपराधियों के लिए अलग से उपचार की आवश्यकता पर बल दिया गया था और तद्नुसार 1920–1922 एवं 1924 के वर्ष में मद्रास, बंगाल और बम्बई की सरकारों द्वारा बाल अधिनियम बनाये गये थे जिनका मुख्य उद्देश्य बच्चों की अभिरक्षा, संरक्षण एवं युवा अपराधियों का उचित उपचार प्रदान करना था। देश के स्वतंत्र होने पर यह विषय राज्य अनुसूची के अन्तर्गत है।

बच्चों के अधिकार एवं उनकी समस्याओं के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सन् 1924 में जिनेवा घोषणा के माध्यम से 5 सूत्रीय कार्यक्रम द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। सन् 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होने के बाद 20 नवम्बर, 1959 को राष्ट्रों की सामान्य सभा द्वारा एक मत से बच्चों के अधिकारों की घोषणा की गई और यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि "बच्चों को उत्कृष्ट वातावरण उपलब्ध कराना मनुष्य का नैतिक कर्त्तव्य है।" भारत सरकार द्वारा बाल अधिनियम,

1960 केन्द्र प्रशासित क्षेत्र के लिए बनाकर उपेक्षित बच्चों के लिये बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई जो केन्द्र शासित क्षेत्रों से संबंधित थी। सम्भवतः बाल अधिनियम, 1960 भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की इसी भावना के अनुरूप अधिनियमित किया गया था।

इस दिशा में सन् 1974 में भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिये एक राष्ट्रीय नीति घोषित करते हुए बच्चों के जन्म से पूर्व एवं जन्म के पश्चात् उनके सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए समुचित संसाधनों को उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया। बच्चों को शिक्षा, पुनर्वास एवं प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध कराकर उन्हें देश का उपयोगी नागरिक बनाने हेतु यह एक महान संकल्प था। बच्चों को क्रूरता, उपेक्षा अथवा शोषण से बचाना एवं समस्त विवाद चाहे माता–पिता के बीच हों अथवा संस्थाओं के बीच हों, इसमें बच्चों के हितों की रक्षा करने का मुख्य उद्देश्य था। यह राष्ट्रीय नीति किशोर अपराधियों को सामाजिक उपचार की दृष्टि को ध्यान में रखने के साथ–साथ उन्हें दण्डित करने के बजाय सुधार कर पुनर्वासित करने पर बल देती है।

अपराधों को रोकने एवं अपराधियों के सुधार हेतु सातवीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस द्वारा सितम्बर, 1985 में पुनः किशोर न्याय प्रशासन के मानक व मौलिक नियमों को साधारण सभा के प्रस्ताव द्वारा पास करके समस्याओं से ग्रसित किशोरों को विधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि किशोर को केवल अन्तिम विकल्प के रूप में ही विचारण के पूर्व किसी जेल अथवा ऐसे स्थान पर रखा जाये, जहां किशोर वयस्क अपराधियों की संगत से प्रभावित न हो। किशोर अपराधियों को तब तक बन्दी न बनाया जाये जब तक उन्हें गंभीर आरोपों के लिए दोषी न पाया गया हो अथवा कोई अन्य विकल्प न हो। सभी सदस्य राष्ट्रों

की अकेले एवं संयुक्त रूप से प्रत्येक युवा को वह समस्त सुविधायें उपलब्ध कराने की अपील की गई जिससे वे अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें एवं सार्थक जीवन जी सकें। संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा लिये गये संकल्प के अनुरूप भारत सरकार द्वारा एक व्यापक अधिनियम "किशोर न्याय अधिनियम", 1986 बनाया गया जिसे दिनांक 2 अक्टूबर 1987 से सम्पूर्ण देश में लागू किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य उपेक्षित एवं अपराधी किशोरों के लिये एक उचित वातावरण प्रदान करने के साथ साथ उनका स्वयं का विकास हो और वे देश के उपयोगी नागरिक बन सकें, यही इसका प्रमुख लक्ष्य था। अब इसी क्रम में बालकों की देख–रेख और संरक्षण अधिनियम 2000 दिनांक 1 अप्रैल 2001 से लागू किया जा चुका है।

किशोर अपराध

किशोर अपराध अन्य अपराधों की भांति किसी एक कारण के फलस्वरूप नहीं होते और न कोई सर्वमान्य परिभाषा ही दी जा सकती है। किशोर अपराध आसानी से धन प्राप्त करने और उनकी स्वयं की उपेक्षा, घर की भावनात्मक समस्या, माता–पिता का बच्चों को अनुशासित रखने या उनके सहानुभूति के अभाव के फलस्वरूप बरती गयी उपेक्षा और विशेष रूप से कुसंगत के कारण होता है। माता–पिता का अत्यधिक नियंत्रण या ढिलाई, नैतिक शिक्षा का अभाव मनोरंजन की सुविधा का अभाव, गन्दी बस्तियां माता–पिता का विशेष आधुनिकीकरण से बच्चों को असुविधा आदि से अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है और उन्हें अपराध के संसार में, न चाहते हुए भी ढकेल दिया जाता हैं उनका स्वयं का जीवन तो कष्टमय होता ही है साथ ही समाज के लिये उनकी कोई उपयोगिता नहीं रहती और वे भार स्वरूप बन जाते है। किशोरों के अपराधी बनने का कारण मुख्य रूप से गरीबी, बेरोजगारी एवं शिक्षा के अवसर का अभाव है। किशोरों की समस्याओं का निदान उन कारणों और बाधाओं को दूर करके

ही किया जा सकता है और इसके लिए कानून के प्राविधानों के अतिरिक्त एक सामाजिक व्यवस्था और विशेष रूप से नैतिक शिक्षा ज्यादा से ज्यादा प्रदान करते हुए एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था और विशेष रूप से नैतिक शिक्षा ज्यादा से ज्यादा प्रदान करते हुए एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था के साथ–साथ विधिक आधार पर मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए न्याय व्यवस्था से सम्भव है।

किशोर के सम्बन्ध में कानून विधि –

भारतीय संविधान एवं नई अन्य अधिनियमों द्वारा किशोरों के कल्याण एवं उनके अधिकारों की रक्षा और उन्हें अधिक से अधिक सेवायें प्रदान करने हेतु अनेक प्राविधान उपलब्ध है, जिससे उनके हितों की ज्यादा से ज्यादा रक्षा सुनिश्चित हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 24 द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने या किसी भी खतरनाक व्यवसाय में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

अनुच्छेद 39 द्वारा राज्य अनुसरणीय नीति निर्देशक तत्व किसी स्त्री या पुरुष या विशेष रूप से वे बालक जो कम उम्र के हैं, आर्थिक कारणों से ऐसे व्यवसाय में नियोजित किये जाने पर प्रतिबंध लगाते हैं जो उनके जीवन या शक्ति के उपयुक्त न हो। इस अनुच्छेद की भावना यह है कि विशेषकर बच्चों को ऐसी सुविधायें और अवसर प्रदान किये जायें जिससे उनकी स्वतंत्रता और उनके सम्मान का किसी प्रकार शोषण न हो सके। संविधान के अनुच्छेद 45 में इस बात का लक्ष्य रखा गया है कि संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार बालकों को मुकदमों में विधिक सेवायें प्रदान करने के विषय में उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला स्तर पर शासन द्वारा व्यवस्था की गयी है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 82 के अनुसार सात वर्ष या उससे कम आयु

के बालक को किसी भी अपराध से दण्डित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार ऐसा बालक जो सात वर्ष से अधिक एवं 12 वर्ष से कम आयु का है और जिसे पर्याप्त समझ नहीं हुई है, उसके द्वारा किया गया कृत्य अपराध नहीं माना जायेगा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अनुसार सन्तान अथवा माता–पिता भरण–पोषण के भत्ते के हकदार हैं और साथ में बालक चाहे वैध अथवा अवैध सन्तान हो, यदि वह किसी शारीरिक या मानसिक आशक्तता या क्षति के कारण अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है तो उसे 5000/– रु0 से अनाधिक की धनराशि प्रदान की जायेगी। खण्ड–ख के प्राविधानों के अनुसार अवयस्क पुत्री के पिता का अपनी पुत्री के भरण–पोषण के लिये वांछित धनराशि देने का दायित्व है, जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती अथवा यदि विवाहित हो तो उसे पति के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार संरक्षक एवं परिपाल्य अधिनियम, 1890 के प्राविधानों के अनुसार न्यायालय की संतुष्टि पर अवयस्क के हित को ध्यान में रखते हुए उसकी या उसकी सम्पत्ति अथवा दोनों के बारे में संरक्षक नियुक्त किये जाने के प्राविधान हैं ये सभी विधिक व्यवस्थायें अवयस्क बालक के हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान एवं अन्य अधिनियमों द्वारा सुनिश्चित की गई है, जिससे उसका हित और संरक्षण हो सके और उसके भरण–पोषण या विकास में कोई बाधा उपस्थित न हो सके।

बालकों की देख–रेख और संरक्षण अधिनियम, 2000

विभिन्न अधिनियमों में एकरूपता और बाल कल्याण एवं विकास हेतु प्रभावकारी ढंग से कानूनों को लागू करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा शीला वार्से प्रति भारत संघ ए0आई0आर0 1986, सुप्रीम कोर्ट 1973 के निर्णय में दिये गये निर्देशों के सुनिश्चित अनुपालन हेतु भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश के बच्चों के हित के लिए और किशोर न्याय व्यवस्था के समुचित

संचालन हेतु उक्त अधिनियम संसद द्वारा पारित कराया गया। यह अधिनियम ऐतिहासिक पृष्टिभूमि को ध्यान में रखते हुए एक विधिक व्यवस्था का निरूपण करता है जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं :–

1. किशोर न्याय के लिये एक समान कानूनी ढांचा की स्थापना किसी भी बच्चे को किसी भी परिस्थिति में जेल या पुलिस हिरासत में न रखे जाने की व्यवस्था जब ऐसा करना अपरिहार्य हो तो किसी विशेष ''होम'' में रखने का निर्देश।
2. किशोर अपचारिता की रोकथाम एवं उपचार हेतु बच्चों के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण और उनके विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
3. किशोर न्याय व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले बच्चों की देख–रेख सुरक्षा, उपचार एवं उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में अपेक्षित संगठन एवं संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सम्प्रेक्षण गृह, किशोर गृह तथा किशोर अपराधों के लिये विशिष्ट गृह की स्थापना।
4. किशोर न्याय संबंधित मुकदमों के अन्वेषण एवं अभियोजन और न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में आवश्यक मानक एवं सिद्धान्त के प्राविधान।
5. किशोर न्याय प्रणाली एवं स्वैच्छिक संस्थायें, जो उपेक्षित किशोरों के सम्बन्ध में कार्य कर रही हैं उनके बीच सामन्जस्य।
6. किशोर अपराधों के सम्बन्ध में संबंधित अपराध और उनके लिये अपेक्षित दण्ड आदि के प्राविधान का निरूपण।
7. किशोर न्याय प्रशासन हेतु संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित मानक नियमों के अनुरूप देश में किशोर न्याय व्यवस्था के संगठन का स्वरूप निर्धारित करना जिससे उपेक्षित और अपचारी किशोर के सम्बन्ध में आवश्यक

संरक्षण, उपचार, विकास एवं उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में वांछित प्राविधानों की व्यवस्था करना।

उक्त अधिनियम के प्राविधान तद्नुसार निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किये जा सकते हैं :–

देख–रेख और संरक्षण की आवश्यकता में बालक

किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम–2000 में परिभाषित किशोर या बालक वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया हो तथा देख–रेख और संरक्षण की आवश्यकता में बालक से यह बालक अभिप्रेत हैं :–

(1) जिसका कोई स्थायी निवास व दृश्यमान जीविका का साधन न हो।

(2) जो किसी व्यक्ति के साथ निवास करता है (चाहे वह व्यक्ति उस बालक का संरक्षण हो या अथवा नहीं) और ऐसा व्यक्ति

(क) बालक को मारने या चोटिल करने की धमकी देता हो तथा धमकी को कार्यान्वत किये जाने की पर्याप्त संभावना हो या

(ख) किसी अन्य बालक/बालकों को मार चुका हो दुरूपयोग कर चुका हो या उपेक्षा कर चुका हो और उस व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत बालक को मारे जाने या उपेक्षा किये जाने की पर्याप्त संभावना हो।

(3) जो मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार या घातक या असाध्य बीमारियों से प्रभावित बालक है जिसकी देख–रेख या समर्थन करने के लिये कोई नहीं है।

(4) जिसके माता–पिता या संरक्षक हैं किन्तु वे बालक पर नियन्त्रण रखने में अयोग्य या असक्षम है,

(5) जिनके माता पिता नहीं है तथा जिनकी देख रेख करने हेतु कोई भी इच्छुक नहीं है या जिसके माता पिता ने त्याग दिया हो या जो गुम हो गया है और बालक को छोड़ कर चला गया है और जिनके माता पिता को पर्याप्त जांच के पश्चात् नहीं पाया जा सके,

(6) जिसका लैंगिक दुरूपयोग या अविधिक कार्यों के प्रयोजन के लिये घोर दुर्व्यवहार प्रताड़ना या शोषण किया जा रहा है या किये जाने की सम्भावना है,

(7) जो असुरक्षित पाया जाता है या उसके मादक द्रव्यों के गलत प्रयोग या उनके व्यापार में शामिल किये जाने की सम्भावना है,

(8) जिनका अनुचित लाभ के लिए दुरूपयोग किया जा रहा है या किये गये जाने की सम्भावना है,

(9) जो किसी सशक्त निरोध, सिविल अशान्ति या प्राकृतिक विपदा का आहत है।

विधि के विरोध में किशोर

वह किशोर है जिस पर अपराध कारित करने का अभिकथन है।

सलाहकार मण्डल – का आशय केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी एजेन्सियों के समन्वय से राज्य, मण्डल, जिला अथवा नगरीय स्तर पर गठित सलाहकार मण्डल है।

सक्षम अधिकारी – का तात्पर्य देख–रेख और संरक्षण की आवश्यकता में बालक की स्थिति में समिति तथा विधि के विरोध में किशोर के बारे में "मण्डल" से अभिप्रेत है।

समिति – का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा राजपत्र से प्रकाशित अधिसूचना से नियुक्त उस समिति/समितियों से है जिन्हें/जिले के समूहों से संबंधित

देख–रेख और संरक्षण की आवश्यकता में बालक के संबंधों में कर्त्तव्यों को पूर्ण करने व शक्तियों के प्रयोग हेतु गठित करती है।

मण्डल या किशोर न्याय मण्डल – का तात्पर्य उस मण्डल से जिसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से "विधि के विरोध में किशोर" के संबंध में उन मंडलों पर अधिरोपित या प्रदत्त कर्तव्यों को पूर्ण करने हेतु शक्तियों के प्रयोग हेतु विनिर्दिष्ट जिले या जिलों के समूह के लिये गठित करेगी।

संरक्षण – का तात्पर्य बालक के नैसर्गिक अथवा बालक पर वास्तविक प्रभाव या नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति से है जो कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण नियुक्त किया गया हो।

किशोर पर अभिरक्षक का नियन्त्रण – किसी व्यक्ति जिसके प्रभार में किशोर को रखा जाता है, किशोर पर उसका नियन्त्रण उस प्रकार होगा जैसे वह उसका माता पिता होता और वह किशोर के भरण पोषण के लिये जिम्मेदार होता तथा किशोर अभिरक्षक के नियन्त्रण में सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत अवधि तक नियन्त्रण में रहेगा भले ही किशोर के माता–पिता अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उनके लिये दावा किया जाये।

किशोर की जमानत :–

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 या तत्समय प्रभावी किसी अन्य विधियों में अन्यथा कोई व्याख्या होने पर भी यदि किसी किशोर व्यक्ति को किसी जमानतीय अथवा अजमानतीय अपराध में गिरफ्तार या निरूद्ध किया जाता है या मण्डल के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है तो उसे प्रतिभूति सहित या प्रति भू–रहित जमानत

पर छोड़ा जायेगा किन्तु यदि यह विश्वास करने हेतु पर्याप्त कारण विद्यमान हो कि इस प्रकार किशोर को जमानत पर छोड़ने से उसे किसी ज्ञात अपराधी के सहयोग में लाने की आशंका हैं या उसे नैतिक शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने की आशंका है या कि उसको छोड़ने से न्याय की अंतिमता असफल होगी तो उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जायेगा।

(2) यदि किशोर व्यक्ति को गिरफ्तार किये जाने के पश्चात् पुलिस स्टेशन के प्रभारी द्वारा उपरोक्त कारणों से जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तो वह अधिकारी किशोर को निर्धारित तरीके से संप्रेक्षण गृह में तब तक रखने के लिये कारित करेगा जब तक कि उसे मंडल के समक्ष नहीं लाया जाये।

(3) यदि मण्डल द्वारा उपधारा (1) के उपरोक्त के अन्तर्गत जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तो उसे कारागार को सुपुर्द करने के स्थान पर जांच लम्बित रहने के दौरान विनिर्दिष्ट अवधि के लिये संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान पर भेजने का आदेश करेगा।

किशोर से संबंधित मण्डल द्वारा जांच

अपराध से आरोपित किये गये किशोर को मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुपालन में मण्डल जांच करेगा और किशोर के संबंध में वह आदेश कर सकेगा जो उचित समझे परन्तु जांच प्रारम्भ होने की तिथि से चार माह के भीतर पूरी की जायेगी जब तक विशिष्ट परिस्थितियों में लिखित कारणों के आधार पर इस अवधि को मण्डल द्वारा बढ़ाये जाने का आदेश पारित किया जाय।

आदेश जिन्हें किशोर के संबंध में पारित किया जायेगा

(1) जांचोपरान्त यदि मंडल संतुष्ट हो कि किशोर द्वारा अपराध कारित किया गया है तब तत्समय किसी विधि में अन्यथा व्यवस्था होने पर भी, मण्डल निम्नलिखित निर्देश दे सकेगा :–

(क) समुचित जांचोपरान्त माता–पिता या संरक्षक और किशोर को सलाह देने के पश्चात भर्त्सना करके किशोर को घर जाने की सलाह दे सकता है,

(ख) समूह परामर्श और समान गतिविधियों में भाग लेने हेतु किशोर को निर्देश दे सकता है।

(ग) समुदाय की सेवा करने का आदेश दे सकता है,

(घ) किशोर के माता–पिता या किशोर को, यदि किशोर की आयु 14 वर्ष से अधिक आयु का हो और वह कमाता है, जुर्माना अदा करने का आदेश दे सकता है,

(ङ) किशोर को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर छोड़े जाने का निर्देश दे सकता है और माता,पिता संरक्षक या अन्य उचित व्यक्ति की देख–रेख में प्रतिभू के साथ या प्रतिभू के बिना तीन वर्ष से अनधिक अवधि तक रखने का निर्देश दे सकता है।

(च) किशोर को तीन वर्ष से अनधिक किसी अवधि के लिये अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर छोड़े जाने अथवा किशोर के अच्छे व्यवहार और कल्याण के लिये उचित संस्था की देख–रेख में रखे जाने का निर्देश दे सकता है।

(छ) विशेष गृह में किशोर को भेजे जाने का निर्देश कर सकता है :–

(1) यदि किशोर की आयु 17 वर्ष से अधिक किन्तु 18 वर्ष से कम हो तो न्यूनतम दो वर्ष के लिये,

(2) किसी अन्य किशोर के मामले में उस अवधि के लिए जब तक कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता है :–

परन्तु यदि अपराध की प्रकृति और मामले की परिस्थितियों के दृष्टिगत, यदि न्यायोचित हो और मण्डल सन्तुष्ट हो लिखित कारण दर्शित करते हुये उक्त ठहरने की अवधि को जितना उचित समझें मण्डल कम कर सकता है।

(3) जहाँ उप धारा (1) के खण्ड (घ) खण्ड (ड) या खण्ड (च) के अन्तर्गत आदेश किया जाये वहां मण्डल की राय में यदि किशोर और जनता के हित में आवश्यक हो तो यह आदेश भी कर सकता है कि विधि के विरोध में किशोर तीन वर्षों से अनाधिक उस अवधि के लिये आदेश में नामित परिवीक्षा अधिकारी के परिवेक्षण के अन्तर्गत रखेगा जिसे विनिर्दिष्ट किया जाये और पर्यवेक्षण में उन शर्तो को अधिरोपित करने का आदेश कर सकता है जो कि विधि के विरोध में किशोर के आवश्यक पर्यवेक्षण के लिये आवश्यक प्रतीत होती हो :

परन्तु यदि परिवीक्षा अधिकारी या अन्यथा से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मंडल को यह प्रतीत होता है कि विधि के विरोध में किशोर पर्यवेक्षण की अवधि के दौरान अच्छा व्यवहार न रहा हो या योग्य संस्था जिसकी देख–रेख के अन्तर्गत किशोर को रखा गया हो, किशोर के अच्छे व्यवहार व कल्याण सुनिश्चित करने के लिये अब योग्य नहीं है या इच्छुक नहीं है, तो वह जांच करने के पश्चात् जिसे उचित समझें विधि के विरोध में किशोर को विशेष गृह को भेजे जाने का आदेश दे सकता है।

(4) मण्डल जब उपधारा (3) के अन्तर्गत आदेश कर रहा हो तो आदेश के निर्बन्धनों और शर्तों को किशोर और माता–पिता संरक्षक या अन्य उचित व्यक्ति या उचित संस्था, जो भी स्थिति हो, जिसकी देख–रेख में किशोर को रखा गया है, को स्पष्ट करेगा और उसके साथ किशोर, माता–पिता, संरक्षक या अन्य उचित व्यक्ति या उचित संस्था जो भी स्थिति हो, और परिवीक्षा अधिकारी को पर्यवेक्षण आदेश की प्रति भेजेगा।

आदेश जो कि किशोर के विरुद्ध पारित नहीं किया जा सकता

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्यथा कोई व्यवस्था होने पर भी विधि के विरोध में किसी किशोर की मृत्यु अथवा आजीवन कारावास का दण्डादेश नहीं दिया जायेगा या जुर्माना भुगतान में व्यतिक्रम होने पर या प्रतिभूति प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम होने पर कारागार को सुपुर्द नहीं किया जायेगा :

परन्तु जहां अपराध 16 वर्ष से अधिक आयु के किशोर द्वारा अपराध किया गया है और मण्डल सन्तुष्ट है कि कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है अथवा किशोर का कार्य व व्यवहार ऐसा रहा है कि किशोर गृह में भेजा जाये उसके अथवा विशेष गृह में अन्य किशोर के हित में नहीं होगा और इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त अन्य कोई भी उपाय उपर्युक्त या पर्याप्त नहीं है तो मण्डल उसे सुरक्षित स्थान में और उस तरीके में जिसे यह उचित समझे रखे जाने का आदेश दे सकता है और राज्य सरकार को आदेश के लिये मामले की रिपोर्ट देगा।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत मण्डल से रिपोर्ट की प्रगति पर राज्य सरकार किशोर के संबंध में उन व्यवस्थाओं को कर सकती है, जिन्हें यह उपयुक्त समझे और उस स्थान पर और उन शर्तो पर जिन्हें यह उचित समझें, संरक्षित अभिरक्षा के अन्तर्गत उस किशोर को रखे जाने का आदेश कर

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना–पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति / उप समिति / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद –

मैं..... पुत्र / पुत्री / पत्नी / विधवा.....निवासी.....विधिक सहायता / परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता / करती हूँ –

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु0 एक लाख तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)।
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता / आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–
   - (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति,
   - (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ,
   - (ग) स्त्री या बालक
   - (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ,
   - (ङ) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीनस्थ सताया हुआ व्यक्ति,
   - (च) औद्योगिक कर्मकार,
   - (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित,
   - (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)।
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवाद आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना–पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम।
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वाछित है :–
   - (1) वाद दायर करने / प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें,
   - (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   - (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी / व्यय होने वाली धनराशि
   - (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि,
   - (5) केवल विधिक परामर्श।

मैं विश्वास दिलाता हूँ / दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण / उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूँगा / करूँगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा / छुपाऊँगी।

प्रार्थी / प्रार्थिनी

नाम–

पता–

सोचें हित किसमें है

1. एक पक्ष की विजय (जो आपका विपक्षी भी हो सकता है) व दूसरे पक्ष की हार व अपमान (जो आप स्वयं हो सकते हैं।) में।	या	न किसी की हार न किसी की जीत दोनों के साथ समान न्याय
2. निर्णय के प्रति उत्सुकता तथा अनिश्चितता के कारण मानसिक तनाव में जीवन जीने में।	या	शांतिपूर्ण ढंग से लोक अदालत द्वारा आपसी सहमति के आधार पर सम्मानजनक निर्णय पाकर तनावमुक्त जीवन जीने में।
3. वर्षों तक मुकदमें के निर्णय के इन्तजार में।	या	तुरंत आपसी सहमति से मुकदमें के निर्णय में।
4. हर तारीख पर न्यायालय में हाजिर होकर समय बर्बाद करने में।	या	एक या दो तारीखों में निर्णय हो जाने पर मुकदमें वाजी से छुटकारा पाने में।
5. आपसी भाईचारा खोकर तनावयुक्त जीवन जीने में।	या	आपसी भाईचारा जागृत कर तनाव रहित जीवन जीने में।